

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

No. 26]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

का.आ. 27(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की निबंधन और सेवा शर्तें) नियमावली, 1992 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की निबंधन और सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की निबंधन और सेवा शर्तें) नियमावली, 1992 में, नियम 3 में, उप-नियम(5) में,-
(क) "जांच और चयन समिति" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय क्षेत्रक विनियामक नियुक्ति जांच समिति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ड.) में, "तीन विशेषज्ञ" शब्दों के स्थान पर, "तीन बाहरी विशेषज्ञ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 2/10/2015-आरई]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमावली, भारत के राजपत्र, असाधारण, में तारीख 21 फरवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या का.आ. 146(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात तारीख 07 फरवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 153(अ), तारीख 18 मई, 2006 के का.आ. 732(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009 के का.आ. 2037, तारीख 07 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2442(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2013 के का.आ. 809(अ) और तारीख 23 दिसम्बर, 2015 के का.आ. 3516(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2016

S.O. 27(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, in rule 3, in sub-rule (5),-
 - (a) for the words "a Search-cum-Selection Committee", the words "the Financial Sector Regulatory Appointments Search Committee" shall be substituted;
 - (b) in clause (e), for the words "three experts" the words "three outside experts" shall be substituted.

[F. No. 2/10/2015-RE]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 146(E), dated the 21st February, 1992 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 153(E), dated the 7th February, 1994, S.O. 732(E), dated the 18th May, 2006, S.O. 2037, dated the 23rd July, 2009, S.O. 2442(E), dated the 7th October, 2010, S.O. 809(E), dated the 30th December, 2013 and S.O. 3516(E) dated the 23rd December, 2015.